

## समाहरणालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक.....

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा/नगर पंचायत, मुरलीगंज।  
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला

मधेपुरा, दिनांक.....

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में SECC डाटा के आधार चयनित लाभार्थियों के सत्यापन एवं लाभूका का आधार पंजीकरण तथा आधार सीडिंग हेतु दिनांक 19.03.2016 को 4:30 बजे अपराह्न में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में।

प्रसंग:- सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में SECC डाटा के आधार चयनित लाभार्थियों के शुद्धिकरण हेतु डाटा का सत्यापन एवं लाभूका का आधार पंजीकरण/आधार सीडिंग तथा मृत/स्थायी रूप से निवास स्थान परिवर्तित लाभूकों का नाम हटाना एवं नये लाभूको का नाम शामिल करना के संबंध में दिनांक 19.03.2016 को 4:30 बजे अपराह्न में डी0आर0डी0ए0 मधेपुरा कैम्पस अवस्थित इल्लू बावू सभागार में जिला स्तर से प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

अनुरोध है कि अपने-अपने प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत के तीन पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के साथ उक्त तिथि को निर्धारित समय पर प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभजन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

मधेपुरा।  
17/3/16

ज्ञापांक...250.../दिनांक...18-3-16

प्रतिलिपि:- जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

मधेपुरा।

17/03/16